न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आई ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 30 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांट	**बनाम**	**रेस्पोडेंटगण**
1. मांगसिंह पुत्र खुमानसिंह 2. रीजूसिंह पुत्र खुमानसिंह, जाति पुरोहित, निवासी फोगेरा, तहसील गडरारोड़, जिला बाड़मेर।		1. सुजाना उर्फ सुजानसिंह पुत्र पहाड़ा उर्फ पहाड़सिंह, जाति पुरोहित, निवासी फोगेरा, तहसील गडरारोड़, जिला बाड़मेर। 2. श्रीमान तहसीलदार गडरारोड़ जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़ द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 35 / 2022 बअनवान सुजाना उर्फ सुजानसिंह बनाम मांगसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 07.05.2024 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थितः—

1. वकील श्री मनोज पारिक अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री छैलसिंह राठौड़ रेस्पोडेण्ट की ओर से।

—:निर्णयः—

दिनांकः—18.07.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरंदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 278 / 110 रकबा 5.1800 हैक्टेयर मौजा फोगेरा तहसील गडरारोड़ में अवस्थित है। विप्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा संख्या 116 प्रार्थी के खेत व सड़क के मध्य में अवस्थित है। प्रार्थी को अपने खेत से सड़क मार्ग तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में विप्रार्थीगण अपनी अन्य भूमि के साथ—साथ कदीमी रास्ते की भी काश्त कर लेते हैं जिससे प्रार्थी का आवागमन अवरूद्ध हो जाता है। उक्त विप्रार्थीगण के खेत में से चलने वाला रास्ता प्रार्थी के खेत तक आवागमन के लिये इकलौता विकल्प है जिसकी अत्यधिक आवश्यकता है। इसी रास्ते से होकर हमारे खेत तक आ जा सकते हैं जिसका उपयोग—उपभोग हम कई वर्षों से लगातार रास्ते के रूप में लेते आ रहे हैं। उपरोक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

में दर्ज करवाने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि हस्तगत प्रकरण की मौका रिपोर्ट तलब की गई जिसमें रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी संख्या 1 की भूमि में आने जाने हेतु तीन विक्लप राजस्व कर्मचारियों द्वारा बताये गये जिसमें अपीलांट की भूमि खसरा संख्या 116 से रास्ता सर्वाधिक अधिक दूरी का था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कम दूरी के अन्य प्रस्तावित रास्तों को स्वीकृत नहीं करते हुए सर्वाधिक दूरी का रास्ता स्वीकृत कर दिया है। मौका रिपोर्ट अनुसार रेस्पोडेन्ट के खेत खसरा संख्या 278/110 तक आने–जाने हेतु अपीलांटगण के खेत के अलावा दो विकल्प 90 फीट दूरी व 225 फीट दूरी का मौके पर उपलब्ध है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा उन खातेदारों को पक्षकार तक नहीं बनाया गया है तथा न ही रास्ता चाहा गया है अपीलांट को सआशय नुकासान पहुंचाने एवं पुरानी रंजिश के चलते मात्र अपीलांटगण को पक्षकार बनाकर अपीलाधीन आवेदन पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट का अवालोकन किये बिना ही एवं नजदीक विकल्प को भी अनदेखा करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। रेस्पोंडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी वादग्रस्त भूमि के खसरा संख्या 278/110 रकबा 5.1800 हैक्टेयर की आयी हुई है जिसमें आने जाने हेतु अपीलांट के खेत खसरा संख्या 116 रकबा 5.3014 में से होकर प्रस्तावित/आदेशित मार्ग को रेस्पोडेन्ट पीढ़ियों से

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में मजमे आम में बाद सुनवाई पश्चात पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार आदेशित/प्रस्तावित रास्ते का रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी आने–जाने में लगातार उपयोग–उपभोग करते आ रहे थे। पक्षकारान के मध्य विवाद हो जाने के कारण प्रचलित रास्ते को बन्द कर दिया गया था। उक्त कथन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रचलित रास्ते के संबंध में ही है। अपीलाधीन आदेश की पालना में प्रश्नगत रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन हो गया है। अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में आपति की है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका नहीं देखा गया जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के लौट में ऐसे न्यायिक दृष्टांत हैं जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि भू अभिलेख निरीक्षक रैंक के कर्मचारी द्वारा रास्ते के मामले में मौका देखा जाना न्यायसंगत है इसलिए अपीलांट की उक्त आपत्ति में कोई सार नहीं है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से दिया गया है रास्ता विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, गडरारोड़ द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 17/2021 बअनवान सुजाना उर्फ सुजानसिंह बनाम मांगसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 07.05.2024 को यथावत रखा जाता है।

18/7/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 18.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/7/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर